



न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

श्रीमती देवी बगेरु वनाम जीविन्द लोहरा बगेरु

| क्र०/तिथि | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | की गई कार्रवाई |
|-----------|--|----------------|
| 23-02-18 | <p>अभिलेख सं०-एम.....13...../2018 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी <u>बुण्डू</u> के अप्राथमिकी सं०-5/18 दिनांक-08/02/18 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि <u>जमीनी विवाद की लैक समय पक्ष में तनाव है</u></p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रु० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि <u>16-03-18</u> को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> <div style="text-align: center;">  कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू। </div> </div> | |
| 16-03-18 | <p><u>पीबलीन छदाधिकारी नगर पैनाफ्त बुण्डू वकील</u> <u>में ब्रह्म । दिनांक 02-04-18 से शुरू।</u></p> | |

तिथि

29-10-18

अभिलेख उपस्थापित / पुनः

क्रमांक 02 उपस्थित अन्य अनुपस्थित

द्वितीय पत्र क्रमांक 01, 04, 06, 07

उपस्थित अन्य अधिकता धारण

उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि

पूर्ण हो चुकी है अर्थात् वाद कात्त -

वार्षिक हो गया है अतः वाद में अभिलेख

की कात्त वन्द की जाती है

लेखापत्र एवं संशोधित


29/10/18

कापपालक पदाधिकारी
उप (अधी)


29/10/18

कापपालक पदाधिकारी
उप (अधी)